2005:सीजीएचसी:2245

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री.एस.आर. नायक. मुख्य न्यायाधिपति

रिट याचिका क्रमांक 4960/2005

याचिकाकर्ता एन.डी. अतुलकर, पिता स्वर्गीय श्री दाजीबा अतुलकर, आयु लगभग 53 वर्ष, व्यवसाय – सेवा, वर्तमान में प्रभारी मंडल प्रबंधक, औद्योगिक रोपण सभाग, बिलासपुर (छ.ग.) के पद पर कार्यरत निवासी शांति नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, लोकाश प्लाजा, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.).
3. जे.एस. पैकरा, प्रभारी प्रबंधक (मार्केटिंग) प्रमुख कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

उपस्थित: श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा श्रीमती फौजिया मिर्जा अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर।

श्री उत्कर्ष वर्मा, उप– शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए।

श्री रणबीर सिंह, उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता।

श्री पी.एस. कोशी, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

आदेश

(16 दिसंबर 2005 को पारित)

याचिकाकर्ता वर्तमान में बिलासपुर (छ.ग.) में औद्योगिक वृक्षारोपण संभाग के प्रभारी संभागीय प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। इससे पहले याचिकाकर्ता पनवरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव में कार्यरत था। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) के प्रबंध निदेशक जो की यहां द्वितीय उत्तरवादी है, ने अपने आदेश दिनांक 21.01.2004 द्वारा याचिकाकर्ता को राजनांदगांव से बिलासपुर स्थित मुख्य कार्यालय प्रमुख के पद पर स्थानांतरित कर दिया था। याचिकाकर्ता को, द्वितीय उत्तरवादी द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.10.2004 के माध्यम से, बिलासपुर में उप प्रबंधक का प्रभार दिया गया। बाद मे द्वितीय उत्तरवादी ने अपने आदेश दिनांक 23.09.2005 के माध्यम याचिकाकर्ता को बिलासपुर से कवर्धा परियोजना संभाग, कवर्धा स्थानांतरित कर दिया था। द्वितीय उत्तरवादी के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना हैं।

(3) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर ने आक्षेपित स्थानांतरण आदेश की वैधता पर आपत्ति करते हुए निम्नलिखित आधारों पर आग्रह किया – (i) कि द्वितीय उत्तरवादी ने स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली राज्य सरकार की नीति का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता का स्थानांतर किया; (ii) कि स्थानांतरण आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रह और कठिनाई हुई है; और (iii) कि याचिकाकर्ता को बार–बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ा है, जो मनमाना और अनुचित है।

(4) नोटिस की तामील पर, द्वितीय प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई है और आपत्तियों का बयान दर्ज कराया है। आपत्तियों के बयान में, यह द◌ावा किया गया

था कि याचिकाकर्ता को सार्वजनिक हित और सेवा की अनिवार्यताओं के कारण स्थानांतरित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार की नीति छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है या लागू नहीं की जाती है।

(5) यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी सरकारी या लोक सेवक का स्थानांत, जिसे स्थानांतरणीय पद के संवर्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्त किया जाता है, सेवा की एक सामान्य घटना है और इसलिए, उसके लिए सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए, स्थानांतरण को दंडात्मक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है। स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और एक कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर तैनात होने का कोई अधिकार नहीं है। स्थानांतरणीय पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी को अपनी पसंद के स्थान पर अपनी पोस्टिंग के लिए आग्रह करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लोकहित के प्रशासनिक आधार पर किए गए लोक सेवक के स्थानांतरण में न्यायालयों द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अनिवार्य वैधानिक नियमों के उल्लंघन या *दुर्भावना* के आधार पर या अधिकार की कमी के आधार पर स्थानांतरण आदेश को गैरकानूनी ठहराने वाले मजबूत और दबावपूर्ण आधार न हों। प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरणों के आदेशों पर न्यायालय या न्यायाधिकरण अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकते। इस आत्म-लगाए गए संयम का कारण यह है कि प्रशासन के पहिये को सुचारू रूप से चलने दिया जाए और न्यायालयों या न्यायाधिकरणों से प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा डालने की अपेक्षा नहीं की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) **गुजरात विद्युत बोर्ड बनाम आत्माराम सुंगोमल पोषानी**[1] में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्थानांतरण सेवा की एक प्रकरण है और किसी कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित होने का कोई अधिकार नहीं है और केवल प्रतिनिधित्व के लंबित होने या कठिनाइयों के आधार पर स्थानांतरण से बचा नहीं जा सकता है। **श्रीमती शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य**[2] में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को जनहित और प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि आदेश अनिवार्य वैधानिक नियमों का उल्लंघन करके या *दुर्भावना* के आधार पर न किए गए हों और यहां तक कि जहां कार्यकारी निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, वहां भी न्यायालय आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा और संबंधित स्थानांतरित कर्मचारी को राहत के लिए विभाग में उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इसी निर्णय में यह भी कहा गया है कि यहां तक कि जहां स्थानांतरण कर्मचारियों द्वारा कठिनाई से बचने के अनुरोध पर किया जाता है, वहां भी न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस.एल. अब्बास**[3] में यह कहा गया कि किसी भी कर्मचारी का अपने पसंद के स्थान पर स्थानांतरण की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके अलावा, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव**[4] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय सापेक्ष कठिनाई का फैसला नहीं कर सकता; संबंधित कर्मचारी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करना प्रशासन का काम है और स्थानांतरण से किसी कर्मचारी को होने वाली कठिनाई स्थानांतरण आदेश की न्यायिक पुर्नविलोकन का आधार नहीं है और न ही हो सकती है **यूनियन**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (1989) 2 SCC 602

[2] AIR 1991 SC 532

[3] (1993) 4 SCC 357

[4] (1995) 3 SCC 270

ऑफ इंडिया बनाम एच.एन. कीर्तनिय[5] में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इसी तरह का है। **अबानी कांता रे बनाम उड़ीसा राज्य**[6] में सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि स्थानांतरण जो सेवा की एक घटना है, उसमें न्यायालयों द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या *दुर्भावनापूर्ण* या स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले किसी भी घोषित मानदंड या सिद्धांत के उल्लंघन से दूषित न **हो। मुख्य महाप्रबंधक (दूरसंचार) बनाम राजेंद्र**[7] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि स्थानांतरण आदेश को या अन्यायपूर्ण ठहराने वाले मजबूत और सम्मोहक आधारों के अभाव में, ऐसे आदेश की न्यायिक पुर्नविलोकन नहीं की जानी चाहिए, खासकर तब जब जिस स्थान पर स्थानांतरित व्यक्ति को रखा जाना या तैनात किया जाना था, वहां उसके खिलाफ शिकायतें थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) उपरोक्त उल्लेखित स्थानांतरण आदेशों की न्यायिक पुर्नविलोकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के आधार पर, हम याचिकाकर्ता के तर्कों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते है। याचिकाकर्ता का यह प्रकरण नहीं है कि द्वितीय उत्तरवादी के पास उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता का यह भी प्रकरण नहीं है कि द्वितीय उत्तरवादी ने उसे प्रतिशोधात्मक रूप से या *दुर्भावनापूर्ण* इरादे से या दंडात्मक उपाय के रूप में स्थानांतरित किया है। यह भी सच है कि द्वितीय उत्तरवादी ने उसे प्रतिशोधात्मक रूप से या दुर्भावनापूर्ण इरादे से या दंडात्मक उपाय के रूप में स्थानांतरित किया है। याचिकाकर्ता का यह प्रकरण नहीं है कि वह स्थानांतरणीय पद पर नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि स्थानांतरण पर

---

[5] (1989) 3 SCC 445

[6] 1995 Suppl. (4) SCC 169

[7] (1995) 2 SCC 532 = AIR 1995 SC 813

2005:सीजीएचसी:2245

प्रतिबंध लगाने वाला सरकार का नीतिगत निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों पर लागू था या लागू किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता ने विवादित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए ऊपर उल्लेखित तीन आधारों में से कोई भी आधार बनाने में पूरी तरह से विफल रहा है।

(8) मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दूसरी दलील में भी कोई सार नहीं दिखता। जैसा कि एस.ए**स. कौरव (पूर्वोक्त)4 क**े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, न्यायालय स्थानांतरण के कारण किसी कर्मचारी को हुई सापेक्ष कठिनाई का निर्णय नहीं कर सकता है और ऐसे कर्मचारी द्वारा किए जा सकने वाले अभ्यावेदन की सराहना करना प्रशासन का कार्य है और स्थानांतरण से कर्मचारी को हुई कठिनाई स्थानांतरण आदेश की न्यायिक पुर्नविलोकन का आधार नहीं है और न ही हो सकती है। विद्वान वरिष्ठ की अंतिम और तीसरी दलील में भी कोई सार नहीं है। सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता का हाल ही में दो बार, पनवरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव से बिलासपुर और फिर बिलासपुर से कवर्धा स्थानांतरित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है, कि याचिकाकर्ता का कवर्धा में आरोपित कवर्धा में स्थानांतरण प्रतिशोधात्मक उपाय है या दुर्भावना *से प्रे*रित है। बिना किसी और सबूत के यह दर्शाने के कि वे दुर्भावना*पूर्ण हैं या* मनमानेपन और अनुचितता के आधार पर निंदा के योग्य हैं, केवल बार–बार स्थानांतरण को इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवादित स्थानांतरण नियोक्ता की पुर्नविलोकन करने और उसे रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। यदि कोई राज्य नियोक्ता या सार्वजनिक नियोक्ता सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने और सार्वजनिक हित में किसी कर्मचारी को बार–बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, तो कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। किसी भी दृष्किोण से देखें तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमारे पास विवादित स्थानांतरण आदे में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नही है। रिट याचिका में कोई सार नहीं है और इसलिए इसे निरस्त किया जाता है, हालांकि, वाद व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/–

(मुख्य न्यायमूर्ति)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ananya Chatterjee

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur